DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 27 अगस्त 2022 ----DATED----

सिविक सेंटर की छत पर एलजी ने लिया वॉटर स्प्रिंकलर का जायजा

■ बिस, नई दिल्ली : दिल्ली में अगर ऊंची इमारतों पर वॉटर स्प्रिंकलर लगा दिए जाएं, तो प्रदूषण में कितनी कमी लाई जा सकती है, इसका पता लगाने के लिए एलजी के निर्देश पर एक नई पहल की गई है। इसके तहत एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर की छत पर एक घूमने वाला वॉटर स्प्रिंकलर लगाया गया है, जिससे चारों तरफ पानी का छिड़काव किया जा सकता है। शुक्रवार को सिविक सेंटर की

एलजी के साथ निगम अफसर रहे मौजूद

छत पर जाकर एलजी ने इसका मुआयना किया। इस दौरान एमसीडी के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एलजी ने कुछ दिनों तक इसका आंकलन करने के लिए कहा है कि इससे प्रदूषण में कितनी कमी आ सकती है। अगर प्रयोग सफल रहता है, तो फिर एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य एजेंसियों को भी इसे लागू करने के लिए कहा जाएगा। इसी महीने की शुरुआत में एलजी पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और एमसीडी के साउथ जोन के मुख्यालय का दौरा करने गए थे।

लवकुश कमिटी ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात

रामलीला : लाइसेंस लेने के लिए मिलेगा और वक्त

■ नगर संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में रामलीला कमिटियों के लिए राहत भरी खबर है। लवकुश रामलीला लीला कमिटी ने शुक्रवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात कर रामलीला लाइसेंस की तारीख बढ़ाने की मांग की। कमिटी सदस्यों का कहना है कि पुलिस कमिश्नर की ओर से रामलीला लाइसेंस अप्लाई करने की तारीख को बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, डीडीए ने 6 सितंबर से दिल्ली की रामलीला कमिटियों को ग्राउंड अलॉट करने का ऐलान किया है। लिहाजा, दिल्ली पुलिस की ओर से लाइसेंस अप्लाई करने की तारीख 26 अगस्त तय की गई है। लवकुश कमिटी के प्रेजिडेंट अर्जुन कुमार और जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया कि शिष्टमंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की।

पुलिस कमिश्नर को गदा सौंपते कमिटी के मेंबर

पुलिस कमिश्नर ने उन्हें कहा कि जो लीला कमिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाई है, वह ऐसा कर सकती है। साथ ही, पुलिस लाइसेंस के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर अर्जुन कुमार, सुभाष गोयल, संजय चौधरी, राजन चोपड़ा, सौरभ गुप्ता, प्रवीण सिंघल, मुकुल गुप्ता मौजूद रहे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान नई दिल्ली शनिवार 27 अगस्त 2022 DATED

नजफगढ़ ड्रेन में नहीं जाएगा गंदा पानी

राहत

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नजफगढ़ ड्रेन की सफाई करने की योजना तैयार की है। इसके तहत नजफगढ़ ड्रेन में गिरने वाले द्वारका के 2 बड़े नालों का पानी सीधा ड्रेन में नहीं जाएगा।

इन दोनों नालों के पानी को पहले एक बड़े तालाब में रोका जाएगा, जिसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करने के बाद पानी को नजफगढ़ ड्रेन में डाला जाएगा। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए डीडीए की ओर से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। द्वारका से गुजरने वाले दो बड़े नालों के कायाकल्प करने की तैयारी में डीडीए जुटा है। कायाकल्प से जुड़ी परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े कार्य सही रहे तो इसका सबसे बड़ा फायदा उपनगरी की उन सोसायटियों को होगा, जो अभी नाले के किनारे स्थित हैं। परियोजना पूरी होने के बाद इन सोसायटियों में रहने वाले लोगों को नाले की बदबू से निजात मिलेगी।

क्या है परियोजना

यमुना नदी में अभी दिल्ली के कई क्षेत्रों से गंदा पानी आ रहा है। इन क्षेत्रों को कई बेसिन में बांटा गया है, जिनमें नजफगढ़ बेसिन सबसे बड़ा है। नजफगढ़ बेसिन का एक बड़ा हिस्सा उपनगरी द्वारका में पड़ता है। यहां से दो बड़े नाले ट्रंक ड्रेन संख्या दो और पांच का गंदा पानी नजफगढ़ ड्रेन में पहुंचता है। अब डीडीए की कोशिश है कि इन दोनों ट्रंक ड्रेन का कायाकल्प किया जाए। इन दोनों ट्रंक ड्रेन में उपनगरी के विभिन्न हिस्सों से जो गंदा पानी पहुंचता है, उसे पहले एक तालाब में इकट्ठा किया जाएगा और फिर इस गंदे पानी को एसटीपी के माध्यम से साफ कर ट्रंक ड्रेन में छोड़ा जाएगा। यह पानी पूरी तरह साफ होगा। ट्रंक ड्रेन के किनारों पर वाटर फ्रंट तैयार किया जाएगा। दोनों किनारों पर लैंडस्केपिंग की जाएगी।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2022

एलजी ने किया वाटर स्प्रिंकलर मशीन का निरीक्षण

सिविक सेंटर की छत पर काम करती वाटर स्प्रिंकलर मशीन का निरीक्षण करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना ● सौजन्य-ट्विटर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को सिविक सेंटर की छत पर काम करती वाटर स्प्रिंकलर मशीन का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक बड़े क्षेत्र में पानी का छिड़काव करके धूल और धुंध को निपटाने में इसकी उपयोगिता का आकलन करने के लिए परीक्षण के आधार पर इसे स्थापित किया गया है। इस मशीन का प्रयोग अगर प्रभावकारी रहा तो एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और पीडब्ल्यूडी की ओर से इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— दैनिक जागरण IV नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022 —DATED—

दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में बदलाव करेगी केंद्र सरकार, मसौदा तैयार

पब्लिक डोमेन में डाला गया संशोधित ड्राफ्ट, 30 दिन में मांगी गई सभी पक्षों की राय

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

दिल्ली को सही मायनों में वर्ल्ड क्लास बनाने और इसके पुनर्विकास में आ रहीं अड़चनें दूर करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली डेवलपमेंट (डीडी) एक्ट 1957 में बदलाव की तैयारी की है। बदलाव का मसौदा तैयार करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है, 30 दिनों में सभी पक्षों की राय मांगी गई है। इसके बाद जन सुनवाई होगी और फिर मसौदे का फाइनल प्रारूप स्वीकृति के लिए संसद में लाया जाएगा। संसद में पास होने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इसके क्रियान्वयन को लेकर नियम कायदे तैयार करेगा।

मंत्रालय का तर्क है कि इससे दिल्ली में सुनियोजित विकास को गति मिल सकेगी। इससे लैंड पूलिंग पालिसी लागू करना तो सरल होगा ही, अनिधकृत कालोनियों का पुनर्विकास भी हो सकेगा। अगर मसौदे के अनुरूप संशोधन हुआ तो आने वाले वर्षों में एक सौ साल पुराने इलाकों का भी कायाकल्प हो सकेगा और डीडीए के उन फ्लैटों के पुनर्विकास का रास्ता भी खुल जाएगा, जो उम्र पूरी करने जा रहे हैं।

मंत्रालय के मुताबिक डीडी एक्ट में संशोधन इसलिए जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के सुनियोजित विकास के रास्ते में कई अड़चनें आ रही हैं। कई साल बाद भी अब तक लैंड पूलिंग पालिसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है। इस पालिसी के अधिसूचित होने के करीब चार वर्ष बाद भी अब तक सिर्फ 38 प्रतिशत जमीन मिलने की उम्मीद बंधी है।

दरअसल, अभी इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि आवासीय परियोजनाओं के लिए कुछ लोग ही अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोगों की भी जमीन है, जो इस पालिसी में नहीं आ रहे। एक्ट में यह संशोधन किया जा रहा है कि ऐसे मामलों में अनिवार्य पूलिंग हो। इसका मतलब अगर दस लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं और बीच में एक-दो लोग अपनी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस संशोधन के बाद उन्हें भी अपनी जमीन देनी ही होगी।

डीडीए एक्ट में बदलाव का असर अनधिकृत कालोनियों पर भी होगा। इन कालोनियों को पुनर्विकसित करने में ये संशोधन मददगार होंगे। डेढ़ हजार से अधिक ऐसी कालोनियों में से अधिकांश में सड़कें, पार्क, गलियां, सामुदायिक भवन आदि की सुविधाएं नहीं हैं। स्थानीय लोगों के बीच सहमति बनाकर इन कालोनियों को नए सिरे से डेवलप किया जा सकेगा।

संपादकीय » पेंशनरों की उम्मीद

संबंधित खबर » जागरण सिटी

डीडी एक्ट में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का भी प्रविधान

मसौदा शासन के अनुसार, डीडी एक्ट में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का भी प्रविधान किया जा रहा है। अगर किसी क्षेत्र में किसी अन्य वजह से वहां पूरा पुनर्विकास कार्य नहीं हो पाता तो उसके बदले में और विकास किसी दूसरे इलाके में हो सकेगा। मसलन, अगर कहीं जमीन के लिए मिले एफएआर के बावजूद निर्धारित ऊंचाई तक इमारत नहीं बना पाते हैं तो ऐसी लोगों को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। टीडीआर। सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, ताकि उसका फायदा दूसरी जगह मिल सके।

100 साल पहले बसे इलाकों, अनधिकृत कालोनियों में बदले जाएंगे विकास के मानक, लैंड पूलिंग पालिसी की उड़ानें होंगी दूर, किया जाएगा अनिवार्य

स्टांप ड्यूटी में भी मिलेगी रियायत

पुनर्विकास की प्रक्रिया को किफायती रखने के लिए दिल्ली में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और पंजीकरण अधिनियम 1908 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के बावजूद लैंड पूलिंग या शहरी पुनर्विकास के उद्देश्य से लेनदेन पर कोई स्टांप शुल्क अथवा पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

पुराने इलाकों का भी होगा कायाकल्प

पुरानी दिल्ली सहित अनेक ऐसे इलाके हैं, जिन्हें बसे हुए 100 साल से भी अधिक समय हो चुका है। ऐसे इलाके पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बहुत खराब स्थिति में हैं। जगह न होने के कारण वहां पर पुनर्विकास कार्य होना भी आसान नहीं है, लेकिन डीडी एक्ट में हो रहे बदलाव से ऐसा हो सकेगा। डीडीए या फिर एमसीडी जिस भी इलाके को पुनर्विकास के लिए अधिसूचित करेगा, वहां के लोगों को सहयोग करना ही होगा। इसी तरह आने वाले वक्त में डीडीए के काफी पुराने और जर्जर फ्लैटों का पुनर्विकास करने का रास्ता भी बनेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
NAME OF NEWSPAPERS---------- नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022 --------DATED--------------------

बेहतरी की उम्मीद

केंद्र सरकार दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में बदलाव करने जा रही है। राजधानी के बेहतर विकास के लिए यह अच्छा कदम है। एक्ट में संशोधन का मसौदा तैयार हो गया है और उसपर सभी पक्षों की राय मांगी गई है। इसके बाद जनसुनवाई होगी और संसद से स्वीकृति मिलने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इसके क्रियान्वयन को लेकर नियम तैयार करेगा। यह बदलाव होने पर दिल्ली में सौ साल पूर्व बसे इलाकों और अनधिकृत कालोनियों में विकास के मानक बदल जाएंगे और उनमें भी नए सिरे से विकास के मार्ग खुल जाएंगे। साथ ही अब तक गति न पकड़ पाई लैंड पूलिंग पालिसी को भी अच्छे से लागू किया जा पाएगा और डीडीए के उन फ्लैटों के पुनर्विकास का रास्ता भी खुल जाएगा, जिनकी उम्र पूरी होने वाली है।

> राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली के बेहतर विकास की दिशा में डीडी एक्ट में बदलाव की योजना का स्वागत किया जाना चाहिए

इसमें दो राय नहीं कि नीतियों में खामियों और राजनीतिक हितों के कारण राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली का सुनियोजित विकास नहीं हो सका है। डीडीए भी नियोजित विकास के अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा। पुनर्विकास की योजनाएं लाने पर यह भी पाया गया कि इन्हें लेकर लोग उत्साहित नहीं हुए, जिस वजह से दिल्ली में अब तक इसपर कुछ काम नहीं हो सका। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं, जिन्हें बसे सौ साल से भी ज्यादा हो गया है। यहां की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। इन क्षेत्रों का पुनर्विकास जरूरी है। यदि एक्ट में संशोधन के बाद ऐसा करना अनिवार्य हो जाएगा तो इन क्षेत्रों का बेहतर विकास होगा। हालांकि, यह राह अब भी आसान नहीं है, लेकिन इसे हर स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में आम लोगों और संबंधित पक्षों को प्रयास करना चाहिए। यह समझा जाना चाहिए कि यदि इस संबंध में ईमानदार प्रयास किए गए तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि यह दिल्ली को रहने योग्य एक बेहतर महानगर बनाने में सफल हो सकेगा।

दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में बदलाव चुनौतीपूर्ण, भूमि की कमी समस्या

एक्ट में बदलाव अधिसूचित होने के बाद भी क्रियान्वयन होगा कठिन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में बदलाव का मसौदा तो तैयार कर लिया, लेकिन उस पर अमल की राह भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक्ट में बदलाव अधिसूचित होने के बाद भी इसका क्रियान्वयन करना आसान नहीं होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पूर्व योजना आयुक्त सब्यसाची दास के अनुसार अधिनियम में जो बदलाव किए गए हैं, वे पुनर्विकास के लिए काफी जरूरी हैं। इस प्रक्रिया में पहले ही करीब दस सालों की देरी हो चुकी है। इन बदलावों के लिए पुनर्विकास के कितने भी प्लान बना लिए जाएं, लेकिन वे सिरे नहीं चढ़ पाएंगे। वजह, जमीन की कमी आज सबसे बड़ी समस्या है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए यह बदलाव होने ही चाहिए। लोग पुनर्विकास में हिस्सा नहीं लेते, इसी वजह से अनधिकृत और पुराने बसे क्षेत्रों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जबकि पाश्चात्य देशों में लोग इसके लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं।

लैंड पूलिंग में भी यही समस्या आ रही है। कुछ लोग जमीन देना नहीं चाहते। इसलिए वह पूलिंग में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से पूरी पालिसी अटक गई है। लैंड पूलिंग पालिसी पर 2013 में काम शुरू हुआ था, टीओडी पर भी छह साल पहले काम शुरू हुआ था।

उन्होंने बताया कि यह इतना आसान भी नहीं होगा। पब्लिक नोटिस आने के बाद ही इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। अभी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, जन सुनवाई होगी। उसमें भी लोग विरोध कर सकते हैं। वहीं इसे लेकर लोग कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। कोर्ट में यह मामला कितना लंबा चलेगा, यह भी देखना होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्व आयुक्त बलविंद्र कुमार बताते हैं कि एक्ट में बदलाव की प्रक्रिया संसद से होकर गुजरती है। एक्ट को संसद से पास करवाना जरूरी होता है। फिर एक्ट में सभी बातें स्पष्ट नहीं होतीं। एक्ट के बाद इसके लिए नियम कायदे बनाने होंगे, जिनसे यह पता चलेगा कि यह प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। क्या नियम होंगे, किस तरह से विकास की रूप रेखा तैयार होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि पुनर्विकास का नीति मास्टर प्लान 1981 में ही बना हुआ है, लेकिन अब तक राजधानी में सिर्फ ऐसा एक ही काम किदवई नगर में हो पाया है। यहां भी इसलिए हो पाया क्योंकि वह पूरी सरकारी जमीन थी, लेकिन वहां पर भी लाल क्वार्टर के हिस्से को प्लान में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि वहां भी यही दिक्कतें आईं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान

NAME OF NEWSPAPERS—— नई दिल्ली सोमवार 29 अगस्त 2022 ——DATED——

नोएडा में ट्विन टावर ढहाने के बाद अनधिकृत निर्माण को लेकर एनसीआर के दूसरे शहरों में भी बहस छिड़ी

अवैध निर्माण के तले दिल्ली भी दब रही

चिंताजनक

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। नोएडा में अवैध निर्माण कर बनाए गए ट्विन टावर को रविवार को ढहा दिया गया। इसके बाद दिल्ली समेत एनसीआर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर बहस छिड़ गई है। दिल्ली भी अवैध निर्माण के तले दब रही है।

राजधानी में अवैध निर्माण के चलते हर साल करीब एक हजार से अधिक संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई में कभी-कभी पूरी संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है तो कभी-कभी सिर्फ उस हिस्से को जो अवैध रूप से बनाया गया हो। दिल्ली में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जिम्मेदारी नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण समेत तमाम स्थानीय निकायों की होती है। डीडीए के नेतृत्व में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो दिल्ली में सभी प्रकार के अवैध निर्माण, संपत्ति का दुरुपयोग समेत अन्य नियमों के तहत कार्रवाई करती है।

कार्रवाई न होने से बढ़ता है हौसला : स्पेशल टास्क फोर्स की वेबसाइट पर मौजूद 15 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में अवैध निर्माण की प्रतिमाह एक हजार से अधिक शिकायतें आती हैं। निगम के 12 जोन हैं, जिनमें हर वर्ष लगभग 15 हजार से अधिक शिकायतें अवैध निर्माण को लेकर आती हैं। इन शिकायतों पर कार्रवाई करने में निगम के अधिकारी काफी हद तक नाकाम साबित हो रहे हैं। एसटीएफ की वेबसाइट पर बीते कुछ महीने के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो पता चलता है कि अवैध निर्माण की लगभग 70 फीसदी शिकायतें लंबित चल रही हैं। शिकायतों पर कार्रवाई न होने से जमकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं।

एक्ट की आड़ में बच रहे : दिल्ली में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के पीछे स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2007 का प्रमुख योगदान है। इस एक्ट के तहत लगातार दिल्ली में अवैध निर्माण को संरक्षित किया जाता रहा है। समय-समय पर निगम के नेताओं की ओर से इस एक्ट की मियाद बढ़ाई जा रही है, जिससे एक्ट की मियाद खत्म होने तक इन अवैध निर्माणों को जहां जैसे है के आधार पर नियमित कर दिया गया।

15
हजार से अधिक शिकायतें आती हैं अवैध निर्माण से जुड़ी नगर निगम के 12 जोन में हर साल

यहां सर्वाधिक समस्या

यूं करें शिकायत

दिल्ली में अवैध निर्माण संबंधी शिकायत निगम के ई-मेल के साथ-साथ टेलीफोन नंबर या डाक से भी की जा सकती है। इसके लिए निगम ने अतिरिक्त आयुक्त की निगरानी में अतिरिक्त उपायुक्त (मुख्यालय) को इसका प्रभारी बना रखा है। नगर निगम की ओर से जारी नंबर **011-23225231** पर फोन करके लोग अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने की थी सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में अनधिकृत निर्माण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि स्थानीय पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना एक भी ईंट नहीं रखी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए।

अदालत ने कहा था कि वह अवैध निर्माणों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति के फैसलों की समीक्षा के लिए दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की न्यायिक समिति का गठन करेगी।

निर्माण लागत भी बढ़ती है : जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा था कि कहीं भी अनधिकृत निर्माण में अधिकारियों और निर्माण करने वालों के बीच मिलीभगत साफ तौर पर नजर आती है। इससे बड़े पैमाने पर निर्माण होता है जिससे निर्माण लागत भी बढ़ती है।

'अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेते'

पीठ ने कहा था कि जब कोई अधिकारी बदलता है, तो कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि यह पिछले अधिकारी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इससे निपटने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। क्या इससे निपटने के लिए कोई सुझाव है। हम इस प्रक्रिया में एक ट्रायल कोर्ट बन गए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस अदालत को मामले से हाथ खींच लेना चाहिए। इन मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए जो हमारी मदद कर सकते हैं।

धूल दिल्ली आने की आशंका कम

नई दिल्ली, प्र.सं.। ट्विन टावर को गिराने के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका कम है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि हवा की दिशा दूसरी ओर होने के चलते टावर के गिरने से उठी धूल के दिल्ली की ओर आने की आशंका कम है।

नोएडा में अनियमित तरीके से बनाए गए ट्विन टावर को रविवार को ढहा दिया गया। इन दोनों इमारतों के गिरने के साथ ही धूल का बड़ा बवंडर उठता देखा गया। इसके चलते आशंका जताई जाने लगी कि इस धूल के चलते राजधानी की वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। धूल के कण दिल्ली के वातावरण में भी छैठ सकते हैं। हालांकि, मौसम विज्ञानियों ने इस आशंका से इनकार किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | सोमवार, 29 अगस्त 2022

DATED

रामलीलाओं का भूमिपूजन

अगले महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू हो रहीं हैं ज्यादातर रामलीलाएं

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

अगले महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली रामलीलाओं के लिए रविवार को दिल्ली में कई आयोजकों ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता सतीश गर्ग, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और विधायक राजेश गुप्ता के अलावा रामलीला के चेयरमैन ओमप्रकाश गोयंका और मुख्य संरक्षक अरुण बंसल समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

पुरानी दिल्ली की नव श्री धार्मिक लीला कमिटी ने लाल किला के मैदान में विधि विधान से रामलीला का भूमि पूजन किया। इसमे पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी भी मौजूद रहे। लीला के चेयरमैन बलराम गर्ग, प्रकाश वैराठी, जगमोहन गोटे वाले और हरी चंद अग्रवाल पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

ईस्ट दिल्ली की बालाजी रामलीला कमिटी द्वारा सीबीडी ग्राउंड लीला स्थल पर भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल, पूर्व महापौर निर्मल जैन, लीला कमिटी के चेयरमैन दिनेश गुप्त, वाइस चेयरमैन अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष भागवत प्रसाद रस्तोगी और महामंत्री जितेंद्र गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। यहां रामलीला का शुभारंभ 25 सितंबर से होगा। उधर, विष्णु अवतार रामलीला कमिटी, शास्त्री पार्क द्वारा शास्त्री पार्क ग्राउंड में भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और लीला पदाधिकारी दिवाकर पाण्डेय समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सांसद मनोज तिवारी डेरा बाल नगर की मानव धर्म रालीला के भूमि पूजन में भी शामिल हुए। द्वारका सेक्टर-13 स्थित डीडीए रामलीला ग्राउंड व कैलाशपुरी रोड पर दशरथपुरी ग्राउंड में रामलीलाओं के लिए रविवार को भूमि पूजन किया गया। श्री रामलीला मंच द्वारका के अध्यक्ष राजेश राठी ने बताया कि द्वारका सेक्टर-13 स्थित डीडीए रामलीला ग्राउंड में उनकी संस्था की ओर से रामलीला मंचन का यह दूसरा आयोजन होगा। रामलीला एवं दशहरा महोत्सव सागरपुर की संरक्षक पूनम जिंदल ने बताया कि दशरथपुरी ग्राउंड में यह रामलीला मंचन का तीसरा आयोजन होगा।

Hindustan Hindi 29/08/2022

दो हजार परिवारों को फ्लैट का इंतजार

कठपुतली कॉलोनी

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। कठपुतली कॉलोनी के लगभग दो हजार परिवार करीब 14 वर्षों से एक अदद आशियाने का सपना देख रहे हैं। कई बार दावों और प्रयासों के बाद भी अभी तक कठपुतली कॉलोनी के निवासियों को स्थायी आशियाना नहीं मिल पाया है।

बता दें कि कठपुतली कॉलोनी के लोगों के लिए डीडीए की ओर से वर्ष 2008 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर योजना का निर्माण किया गया। उस समय इसे पूरा करने के लिए वर्ष 2012 की समय-सीमा तय की गई थी। 2008 में योजना को लेकर टेंडर भी निकाल दिए गए। 2009 में निजी कंपनी को वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया। लेकिन, वर्क ऑर्डर होने के बावजूद झुग्गीवासियों का विस्थापन न हो पाने के कारण करीब नौ वर्ष तक योजना अधर में लटकी रही। विस्थापन कार्य पूरा होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना का नए सिरे से शिलान्यास किया। उस समय इसकी डेडलाइन वर्ष 2019 तय की गई। नए सिरे से योजना का शिलान्यास होने के बाद भी फ्लैटों के आवंटन को लेकर दो बार डेडलाइन मिस हो चुकी है। पहले दिसंबर 2021 में और फिर मार्च 2022 में फ्लैटों का आवंटन किया जाना था। लेकिन, फ्लैट तैयार न होने के कारण डेडलाइन मिस हुई।

अगले माह सौंपे जा सकते हैं 700 फ्लैट

डीडीए के अनुसार, कठपुतली कॉलोनी के फ्लैट आवंटित करने की तैयारी कर ली गई है। अपार्टमेंट ब्लॉक बनकर तैयार है। कुल 2800 में से 700 से अधिक फ्लैट का पहला बैच सितंबर महीने में सौंपा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले चरण के कुछ फ्लैट निवासियों को सौंपे जा सकते हैं। हालांकि, यह कार्यक्रम पूरी तरह प्रधानमंत्री की उपलब्धता पर निर्भर है। बाकी फ्लैट अगले साल जुलाई तक सौंपे जाने की उम्मीद है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- हिन्दुस्तान ----------DATED- नई दिल्ली रविवार 28 अगस्त 2022

सवाल | नीलामी में खरीदी गई सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर याचिका, सरकार और डीडीए से मांगी रिपोर्ट

ईडब्ल्यूएस मरीजों के इलाज को क्या कदम उठाए : कोर्ट

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। नीलामी में खरीदी गई सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में भी ईडब्ल्यूएस मरीजों को निशुल्क इलाज मिल सकता है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और डीडीए को यह बताने के लिए कहा है कि ऐसी जमीन पर बने अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में ईडब्ल्यूएस मरीजों का मुफ्त इलाज के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सरकार और डीडीए को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पीठ ने गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की तरफ से अधिवक्ता खगेश झा और शिखा बग्गा की ओर से चार साल पहले दाखिल जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है।

संगठन ने पीठ को बताया है कि न सिर्फ जमीन की नीलामी/आवंटन शर्तें बल्कि केंद्र सरकार बनाम मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के फैसले के अनुसार किसी भी सरकारी/नजूल भूमि पर बने अस्पतालों/नर्सिंग होम्स और डिस्पेंसरियों में ईडब्ल्यूएस मरीजों का निशुल्क इलाज किया जाना जरूरी है। सरकार ने सस्ती दरों पर आवंटित जमीन पर बने करीब 40 अस्पतालों को ईडब्ल्यूएस मरीज के निशुल्क इलाज के लिए चिन्हित किया है, लेकिन नीलामी के जरिए खुले बाजार में आवंटित जमीन पर बने अस्पतालों को अब तक चिन्हित नहीं किया है। इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस मरीजों को इन अस्पतालों में निशुल्क इलाज नहीं मिल पा रहा है।

डीडीए ने क्या कहा था : डीडीए ने 2019 में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि सरकारी जमीन (भले ही व सस्ती दरों पर या नीलामी में आवंटित किया गया हो) पर बने अस्पताल, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरी को दिल्ली सरकार की नीतियों के तहत निशुल्क इलाज मुहैया कराना अनिवार्य शर्त में शामिल है।

सभी संस्थानों की सूची सरकार को दे डीडीए

उच्च न्यायालय ने डीडीए को चार सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार को उन सभी संस्थानों का ब्योरा देने को कहा है, जिन्हें अस्पताल, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरी बनाने के लिए जमीन दी है। पीठ ने डीडीए को यह आदेश तब दिया जब सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने कहा कि डीडीए ने अब तक उन अस्पतालों की सूची सरकार को नहीं दी है, जो सरकारी/नजूल भूमि पर बनी है।

अस्पताल पक्षकार बनेंगे

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उन अस्पतालों को पक्षकार बनाने को कहा है, जो सरकारी जमीन पर बने हैं, लेकिन मरीजों को निशुल्क इलाज नहीं दे रहे हैं। पीठ ने दो सप्ताह का वक्त दिया है।

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI * AUGUST 28, 2022

DoE rapped for 'lack of due diligence'

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena has slammed the Directorate of Education (DoE) and flagged the "irresponsible and callous attitude of officers resulting in unnecessary litigation".

Disposing an appeal in favour of an elementary school whose recognition had been denied by the DoE, the LG observed that "the department has shown utter lack of consideration and due diligence". "The education department is expected to be a facilitator and not act as an obstructionist," the LG stated.

The matter was heard by the LG on July 27, 2022, wherein the counsels of the appellant (Ganga International School, Rohini) and the respondents (Directorate of Education, GNCTD) and Delhi Development Authority (DDA) were present.

The LG heard the counsel of the appellant, who stated that the school was granted an essentiality certificate by the DoE on July 3, 2002. The counsel further claimed that DDA allotted land measuring 800 sqm to the school vide letter dated April 16, 2003, and upon payment of the requisite amount asked the school to take possession of the land vide letter dated August 19, 2003.

The counsel further alleged that after obtaining approval, the school building was constructed in accordance with sanctioned plan and the school entered into a perpetual lease deed on December 27, 2004, and the school applied for recognition by the DoE on February 20, 2009. TNN

LG checks rotating sprinkler to beat dust

New Delhi: The lieutenant governor (LG) took stock of the rotating water sprinkler installed at the top of the civic centre to mitigate dust pollution on a trial basis. Based on the results, the exercise will be undertaken in NDMC, DDA and PWD areas also.

On August 6, the LG had expressed hope that Delhi will have better air quality this winter with the installation of rotating water sprinklers atop high buildings in the national capital.

"Had asked to install rotating water sprinklers on top of high buildings. MCD and PWD tested it and results are amazing. The spray covers 70 meter distance over 270 degrees and dilutes pollutants without causing sludge and trouble to commuters. Hope Delhi has better air this winter," the LG had tweeted earlier. TNN

संडे नवभारत टाइम्स

स्कूल की मान्यता का लटका मामला LG ने निपटाया

विस, नई दिल्ली : एक दस्तावेज में मामूली सी गलती की वजह से एक स्कूल को मान्यता का मामला बीते कई साल से लटका हुआ था। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इस स्कूल को मान्यता देने का निर्देश दिया है। साथ ही उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग और डीडीए के कामकाज पर भी नाराजगी जताई है।

यह मामला सिर्फ इसलिए अटका हुआ था, क्योंकि स्कूल के लिए भूमि के आवंटन दस्तावेजों में से एक में भूमि का साइज 800 वर्ग मीटर की जगह 798 वर्ग मीटर लिखा गया था। लेकिन पिछले साल जब डीडीए ने सर्वे किया तो पता चला कि वास्तव में स्कूल की जमीन का एरिया 802 वर्ग मीटर है। सभी पक्षों के वकीलों के तर्क सुनने के बाद इस मामले में अपील का निपटारा करते हुए उपराज्यपाल ने फैसला सुनाया और कहा कि शिक्षा विभाग से इस तरह से कामकाज में अड़चन पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE HINDU DATED SATURDAY, AUGUST 27, 2022

Nehru Place facelift driving away shoppers

Shopkeepers rue slow redevelopment work; motorists struggle to find parking space

MUNEEF KHAN
NEW DELHI

Redevelopment work at Nehru Place, one of Delhi's most popular commercial centres, is testing the patience of shop owners and commuters, who say nothing much has changed despite the construction work continuing for nearly one year now.

The facelift plan includes an amphitheatre, a skywalk, an automated parking lot and kiosks, among other facilities that have been earmarked by the Delhi Development Authority (DDA).

Raju, a mobile repair store owner, said the work has remained snail-paced and chaotic with construction and demolition waste being scattered all over the market.

"The road outside the market near the Nehru Place metro station is in a pathetic state and gets flooded every time it rains. While some portions of the road have been repaired recently, the work seems shoddy and unsteady. This redevelopment work is driving away customers because of traffic jams and inadequate parking," said Mr. Raju.

In a mess: DDA's redevelopment work under way at Nehru Place in Delhi on Friday. • SUSHIL KUMAR VERMA

Mahinder Aggarwal, who heads a welfare association for traders based in the market, said the DDA started the work close to a year ago but facilities such as the skywalk are "not even close to nearing completion".

"Nehru Place is known for the sale of computer and mobile accessories, besides clothing, and it used to enjoy a heavy footfall. The ongoing construction has impacted the market business and the situation is not likely to improve anytime soon. The automated parking facility is still in the initial stages of construction. Even for the repair of the road, we had to raise the issue multiple times in the past few months," said Aggarwal, adding that the repair work not satisfactory.

No clarity on completion

Mr. Aggarwal said the refurbishing plan for the market, which was constructed in the 1970s, came with much promise but has, instead, left traders in a limbo as there is no clarity on when the project will be completed.

"In 2019, the DDA, which got ₹182 crore for the project, had promised us that the work will be completed in 18 months. Then there was a delay due to the COVID-19 pandemic, but even after things settled down, our market has remained in a neglected state."

Lack of parking space has become a major concern for two-wheeler and car owners, while parking attendants are facing a tough time accommodating the vehicles in the limited space near the market.

"The automated parking facility is likely to have a capacity of 700 cars. but right now I am struggling to get a decent spot for vehicles due to the space crunch. Vehicles are being parked in a haphazard manner as the parking area is in a bad shape. During rain, the whole stretch is filled with water and muddy deposits," said a parking attendant, who did not wish to be named.

When reached for a comment on the status of the redevelopment work, the Delhi Development Authority did not

29 अगस्त, 2022 ▶ सोमवार
पंजाब केसरी

बदहाल सड़क दे रही है हादसों को न्योता

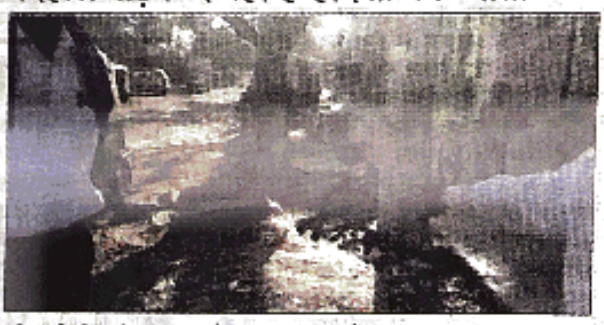

पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): नरेला सेक्टर 5ए पॉकेट 3 की पुनर्वास कॉलोनी में टूटी सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पांच साल से सड़क बदहाली की मार झेल रही है। आरोप है कि यह डीडीए की सड़क है। लेकिन पांच सालों से लगातार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन द्वारा सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। जिसकी वजह से इलाके में रोजाना कोई न कोई हादसा होता रहता है। स्थानीय निवासी तनवीर भारती का कहना है कि पांच साल से सड़क की हालत खराब है लेकिन संबंधित विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
नई दिल्ली। रविवार • 28 अगस्त • 2022
NAME OF NEWSPAPERS सहारा DATED

सिसोदिया इस्तीफा दें या उन्हें हटाया जाए : माकन

नई दिल्ली (भाषा)। कांग्रेस ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि सिसोदिया या तो इस्तीफा दें या फिर उन्हें हटाया जाए। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल उपमुख्यमंत्री पद से सिसोदिया को इसलिए नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि मामले के तार उनसे जुड़ जाएंगे।

कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने आबकारी नीति पर केजरीवाल को दी बहस की चुनौती

माकन ने आबकारी नीति पर केजरीवाल को बहस की चुनौती भी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल से शराब घोटाले की बात करो तो वह शिक्षा की बात करेंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि वह स्पष्ट करें कि शराब घोटाले पर उनका क्या कहना है। माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जो शराब की दुकानें खोलीं, उनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा दुकानें आवासीय इलाकों में हैं। यह मास्टर प्लान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) इन दुकानों को सील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समय रहते ऐसा नहीं किया। इसलिए भाजपा पर भी सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपये का शराब लाइसेंस शुल्क माफ किया। उन्होंने कहा किआम आदमी पार्टी (आप) भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब केजरीवाल और सिसोदिया खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं।

एक्साईज कमिश्नरों की लगातार छुट्टी किसके इशारे पर हो रही थी : चौ. अनिल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार नई शराब नीति बनाने से लेकर 17 नवम्बर, 2021 को लागू होने तक जिस एक्साईज कमिश्नर ने सरकार की शराब नीति पर आपत्ति जताई, उन्हें केजरीवाल सरकार ने भाजपा के साथ मिलकर तुरंत स्थानांतरित कर दिया, जिसका खुलासा शराब घोटाले के उजागर होने के बाद उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद हुआ।

नई आबकारी नीति को लागू करने के अहम फैसलों के समय लगातार बदले गए अधिकारी : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

उन्होंने कहा कि केजरीवाल के इच्छापूर्ति के लिए मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में 4 सितम्बर, 2020 को नई आबकारी नीति को बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। कैबिनेट द्वारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा जब 22 मार्च 2021 को रिपोर्ट की मंजूरी दी गई उस समय एक्साईज कमिश्नर पद खाली था, जो जांच का विषय है। कुमार ने कहा कि यह भी जांच का विषय है कि शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए शराब नीति बनाने के समय जब 13 अक्टूबर 2020 को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई तब मौजूदा एक्साईज कमिश्नर की 31 अक्टूबर, को छुट्टी कर दी गई। यही प्रक्रिया 5 फरवरी, 2021 को मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन के समय दोहराई गई, उस दौरान एक्साईज कमिश्नर राहुल सिंह को 03 फरवरी, 2021 को पदमुक्त कर दिया गया, जिनका कार्यकाल सिर्फ तीन महीने का रहा, उसके बाद नए कमिश्नर संजय गोयल का कार्यकाल सिर्फ एक महीने का था। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शराब नीति बनाने के दौरान लगातार एक्साईज आयुक्तों को कौन पदमुक्त करवा रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली, रविवार 28 अगस्त, 2022

डीईओ 13 साल से प्राइमरी स्कूल को मान्यता के लिए परेशान करते रहे

उपराज्यपाल ने डीईओ को लगाई फटकार, मान्यता के निर्देश

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के डीईओ रोहिणी के एक एनजीओ के द्वारा दिल्ली शिक्षा अधिनियम के तहत प्राइमरी स्कूल के मान्यता के लिए मात्र दो गज जमीन की कमी दिखाकर मान्यता नहीं दी। मामला 13 साल से उलझाकर रखा। परेशान एनजीओ ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कोर्ट में अपील लगा दिया। उपराज्यपाल ने मामला सुनने और तमाम डॉक्यूमेंट देखने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारों को फटकार लगाते हुए स्कूल को मान्यता देने का आदेश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहिणी स्थित एक एनजीओ को स्कूल के लिए डीडीए ने 800 स्क्वायर मीटर जमीन अलाट किया। जिसका पेमेंट स्कूल ने डीडीए को 16 अप्रैल 2003 को कर दिया। इसके बाद स्कूल को शिक्षा विभाग के डीईओ डीडीए से मिले जमीन को 798 स्क्वायर मीटर बताकर मान्यता देने से मना कर दिया, जबकि स्कूल की जमीन की पैमाइस हुई तो जमीन 802 स्क्वायर मीटर निकली और यह जानकारी डीडीए ने स्कूल को लिखकर भी दे दिया। इसके बाद भी डीईओ स्कूल के जानकारी को गलत बताकर कोई न कोई अड़चन लगाकर मान्यता देने से मना करता रहा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुनवाई के दौरान पाया कि डीईओ ने अपने ध्यान से मामले को नहीं सुनने के कारण एक उपभोक्ता का 13 साल तक परेशान किया। उपराज्यपाल ने विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत एक अपीलीय कोर्ट के रूप में अपनी वैधानिक क्षमता में, शिक्षा निदेशालय (डीओई), जीएनसीटीडी के अधिकारियों द्वारा विचार और उचित परिश्रम की कमी' पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। एलजी ने देखा है कि 'विभाग (डीओई) जिसे स्कूली शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली ने पूरी तरह से ध्यान और उचित परिश्रम की कमी दिखाई है।

अमर उजाला
नई दिल्ली | रविवार, 28 अगस्त 2022

रिहायशी इलाकों में ठेके आप-भाजपा की मिलीभगत : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी स्वराज और भ्रष्टाचार पर लगाम के मुद्दे पर सरकार में आई थी, लेकिन नई आबकारी नीति के तहत जो घोटाला हुआ है उसमें दोनों ही चीजें तार-तार हुई हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के तमाम रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया है जबकि 2021 का दिल्ली का मास्टर प्लान इसकी इजाजत नहीं देता है। वहीं, केंद्र के अधीन एमसीडी और डीडीए ने एक भी दुकान सील नहीं की। महासचिव अजय माकन ने आप और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगा मांग की है कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच करे, लेकिन एमसीडी और डीडीए पर भी कार्रवाई हो। माकन ने कहा कि पूरी दिल्ली में 460 शराब दुकानों को लाइसेंस दिया। न एमसीडी और न डीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। ब्यूरो